न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

पीठासीन अधिकारी :– भवानी सिंह, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 60 / 2021

वादी **बनाम** **प्रतिवादीगण**

श्रीमति जमनादेवी पत्नी श्री कालूराम
जाति सीरवी नारनवाल (राठौड़)
निवासी नारणवालों का भादरवा
बिलाड़ा, तहसील बिलाड़ा,
जिला जोधपुर राज.

1. उकड़गिरी पुत्र भंवरगिरी
2. **स्व. ककूदेवी पत्नी बुद्वगिरी** के कायम मुकाम्

2/1 राधादेवी पुत्री ककूदेवी पत्नी कंचनपुरी, जाति गोस्वामी, निवासी ग्राम आगेवा, तहसील जैतारण, जिला पाली

2/2 गणुदेवी पुत्री ककूदेवी पत्नी नारायणगिरी, जाति गोस्वामी निवासी ग्राम बीरावास, तहसील, बिलाड़ा, जिला जोधपुर राज.

2/3 कुकीदेवी पुत्री ककूदेवी पत्नी भुण्डापुरी, जाति गोस्वामी निवासी ग्राम सांडिया, तहसील सोजत सिटी, जिला पाली

2/4 तिजीदेवी पुत्री ककूदेवी पत्नी सोहनपुरी, जाति गोस्वामी निवासी ग्राम निमाज, तहसील जैतारण, जिला पाली

3. कैलाशपुरी पुत्र नेनुगिरी
4. कानगिरी पुत्र बुद्धगिरी
5. स्व. नेनुगिरी पुत्र बुद्धगिरी के कायम मुकाम्

5/1 ओमगिरी पुत्र नेनुगिरी

5/2 दौलतगिरी पुत्र नेनुगिरी जातियान गोस्वामी, निवासीगण सोलंकियों का अरट, पतालियावास स्कूल के पीछे बिलाड़ा, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर

5/3 पिंकी पुत्री नेनुगिरी पत्नी आनन्दगिरी, जाति गोस्वामी निवासी ग्राम बिराई, तहसील भोपालगढ, जिला जोधपुर

6. राकेशगिरी पुत्र नेनुगिरी
7. लीलादेवी पत्नी कानगिरी जातियान गुसाई, (गोस्वामी) निवासीगण सोलंकियों का अरट, पतालियावास स्कूल के पीछे बिलाड़ा, तहसील बिलाड़ा,

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

8. शाखा प्रबन्धक
भूमि विकास बैंक शाखा बिलाड़ा
9. शाखा प्रबन्धक
बिलाड़ा सहकारी भूमि विकास
बैंक शाखा बिलाड़ा
10. राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार बिलाड़ा

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

उपस्थिति :– वादी की ओर से श्री मदनलाल चौधरी एडवोकेट।
प्रतिवादी संख्या 1 से 9 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।
प्रतिवादी संख्या 10 सरकारी पैरोकार।

निर्णय दिनांक :– 11.01.2023

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम बिलाड़ा चक नम्बर 3 तहसील बिलाडा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 4897 रकबा 2.5564 हैक्टेयर किस्म चाही पंचम, खसरा नम्बर 4898 रकबा 0.5420 हैक्टेयर किस्म चाही पंचम, खसरा नम्बर 4899 रकबा 0.9627 हैक्टेयर किस्म चाही पंचम, खसरा नम्बर 4900 रकबा 0.4935 हैक्टेयर किस्म चाही पंचम, खसरा नम्बर 4901 रकबा 0.3236 हैक्टेयर किस्म चाही पंचम, खसरा नम्बर 4902 रकबा 0.4773 हैक्टेयर किस्म चाही पंचम, खसरा नम्बर 4903 रकबा 0.5663 हैक्टेयर किस्म चाही पंचम, खसरा नम्बर 4904 रकबा 0.1375 हैक्टेयर किस्म गै.मु. बेरा खसरा नम्बर 4905 रकबा 0.0971 हैक्टेयर किस्म गै.मु. रास्ता, खसरा नम्बर 4906 रकबा 0.3317 हैक्टेयर किस्म चाही पंचम, खसरा नम्बर 4907 रकबा 0.2103 हैक्टेयर किस्म चाही पंचम, खसरा नम्बर 4908 रकबा 0.3964 हैक्टेयर किस्म चाही पंचम, खसरा नम्बर 4909 रकबा 0.3883 हैक्टेयर किस्म चाही पंचम, खसरा नम्बर 4910 रकबा 0.4854 हैक्टेयर किस्म चाही पंचम कुल खसरा 14 कुल रकबा 7.9685 हैक्टेयर आयी हुयी है। जिसके खाता संख्या 32 है। जो वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 7 की सयुक्त खातेदारीसुदा व सयुक्त कब्जा काश्तसुदा कृषि भूमि है। जिसमें वादी का 6321/47674 वॉ हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 का 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 का 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 का 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 6 का 47/484 वॉ हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 7 का 229/1576 वॉ हिस्सा है। वादीया द्वारा अपनी

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

उपरोक्त हिस्से की भूमि जरिये रजिस्टर्ड बैचाननामा दिनांक 15.07.2020 को विक्रेता सुशीला पत्नी श्री भानगिरी व राकेश गिरी पुत्र श्री नेनुगिरी से खरीद की। वादग्रस्त कृषि भूमि पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 7 का वाद पत्र के पद संख्या 2 में वर्णित हक व हिस्से यानि खाता संख्या 32 की चालु जमाबन्दी संवत् 2076 से 2079 में वर्णितानुसार हिस्से की भूमि पर मौके पर सयुक्त रूप से काबिज है व सयुक्त रूप से काश्त कर रहे है। वादग्रस्त कृषि भूमि का वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के मध्य मौखिक बंटवाडा हो रखा है परन्तु आज दिन तक लिखित व विधिवत बंटवाड़ा नही हुआ है व न ही राजस्व नक्शे में मुताबिक वादपत्र के पद संख्या 2 में वर्णित हिस्से के अनुसार तरमीम हुई है तथा वादग्रस्त भूमि वाद पत्र के पद संख्या 2 में वर्णित हक व हिस्से के अनुसार राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी संवत् 2076 से 2079 में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के नाम से सयुक्त रूप से खातेदारी के रूप में दर्ज है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 7 मुताबिक बंटवाड़े के अनुसार वाद पत्र के पद संख्या 2 में वर्णित अपने हिस्से के अनुसार वादग्रस्त कृषि भूमि पर काबिज व काश्त कर रहे है। वादग्रस्त कृषि भूमि के संबंध में वादपत्र के पद संख्या 2 में वर्णित वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के हक व हिस्से के संबंध में वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 से 7 को विधिवत बंटवाड़ा व राजस्व नक्शे में मुताबिक विधिवत बंटवाड़ा के अनुसार तरमीम करवाने हेतु कई बार निवेदन किया परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 से 7 ने आज दिन तक न तो वादी के निवेदन को स्वीकार किया व न ही वादी के निवेदन से सहमत हुए व न ही आज दिन तक वादग्रस्त कृषि भूमि का विधिवत बंटवाड़ा किया। बिना बंटवाड़ा के वादी न तो अपने हिस्से की भूमि पर कोई सुधार कर सकता है और न ही उसे उपजाऊ बना सकता है, व न ही सरकारी सुविधाओं को प्राप्त कर सकता है। इसलिए वादी को अपने हक व हिस्से की वाद पत्र के पद संख्या 2 में वर्णित वादग्रस्त कृषि भूमि के बंटवाड़ा व राजस्व नक्शे में तरमीम करवाने के लिए वाद बाबत् बंटवाड़ा का प्रस्तुत किया है। दिनांक 11.06.2021 को प्रतिवादीगण संख्या 1 से 7 द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि पर बिना बंटवाड़ा किये ही मौके पर अजनबी खरीददारों को उक्त वादग्रस्त भूमि बैचान करने हेतु मौका दिखाने हेतु आये। तब वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 से 7 को कहा कि आप वादग्रस्त जमीन का मौका क्यो दिखा रहे हो तब उन्होने वादी को कहा कि हम अपने हिस्से की जमीन को बैचान करेंगे। तब वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 से 7 को कहा कि आप बिना बंटवाड़ा किये तथा बिना वादी

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

की सहमति के आपके हिस्से की भूमि का बैचान अजनबी क्रेता को नही कर सकते हो। तो प्रतिवादी संख्या 1 से 7 ने वादी की बात को न मानकर वादी को एलानिया कहा कि "हम तो हमारे हिस्से की भूमि को पड़ौस दर्शाते हुए बिना बंटवाड़ा के व तुम्हारी सहमति के बिना अजनबी क्रेता को बैचान करके रहेगे। यदि तुमने कानूनी कार्यवाही के जरिये रोकने की कोशिश की तो हम तुम्हे भी तुम्हारे हिस्से की भूमि से जबरन बेदखल कर देंगे तथा तुम्हे तुम्हारे हिस्से से वंचित कर देंगे।" इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 से 7 को उपरोक्त अवैध कार्य करने से रोकने हेतु जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। इसलिए वाद बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया है।

अन्त में निवेदन किया कि राजस्व ग्राम बिलाड़ा चक नम्बर 3 तहसील बिलाडा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 4897 रकबा 2.5564 हैक्टेयर किस्म चाही पंचम, खसरा नम्बर 4898 रकबा 0.5420 हैक्टेयर किस्म चाही पंचम, खसरा नम्बर 4899 रकबा 0.9627 हैक्टेयर किस्म चाही पंचम, खसरा नम्बर 4900 रकबा 0.4935 हैक्टेयर किस्म चाही पंचम, खसरा नम्बर 4901 रकबा 0.3236 हैक्टेयर किस्म चाही पंचम, खसरा नम्बर 4902 रकबा 0.4773 हैक्टेयर किस्म चाही पंचम, खसरा नम्बर 4903 रकबा 0.5663 हैक्टेयर किस्म चाही पंचम, खसरा नम्बर 4904 रकबा 0.1375 हैक्टेयर किस्म गै.मु. बेरा खसरा नम्बर 4905 रकबा 0.0971 हैक्टेयर किस्म गै.मु. रास्ता, खसरा नम्बर 4906 रकबा 0.3317 हैक्टेयर किस्म चाही पंचम, खसरा नम्बर 4907 रकबा 0.2103 हैक्टेयर किस्म चाही पंचम, खसरा नम्बर 4908 रकबा 0.3964 हैक्टेयर किस्म चाही पंचम, खसरा नम्बर 4909 रकबा 0.3883 हैक्टेयर किस्म चाही पंचम, खसरा नम्बर 4910 रकबा 0.4854 हैक्टेयर किस्म चाही पंचम कुल खसरा 14 कुल रकबा 7.9685 हैक्टेयर में स्थित वादी के 6321/47674 वॉ हिस्से की भूमि का जरिये मीटस एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा किया जाकर राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में अलग से उपरोक्त हिस्से के अनुसार खातेदारी दर्ज की जावे व राजस्व नक्शे में उपरोक्त वर्णित हक व हिस्से अनुसार तरमीम की जावे तथा वादी की बंटसुदा भूमि में आने जाने हेतु रास्ते की सुविधा की जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वो वादी के हिस्से अनुसार बंट में आयी खातेदारी भूमि में न तो स्वयं किसी प्रकार की दखल करे तथा न ही अन्य किसी से करावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया वादी का दावा दिनांक 12.05.2022 को प्राथमिक डिक्री किया गया और ग्राम बिलाड़ा चक नम्बर 3

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर की सरहद में स्थित भूमि खसरा संख्या 4897 रकबा 2.5564 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4898 रकबा 0.5420 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4899 रकबा 0.9627 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4900 रकबा 0.4935 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4901 रकबा 0.3236 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4902 रकबा 0.4773 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4903 रकबा 0.5663 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4904 रकबा 0.1375 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4905 रकबा 0.0971 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4906 रकबा 0.3317 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4907 रकबा 0.2103 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4908 रकबा 0.3964 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4909 रकबा 0.3883 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4910 रकबा 0.4854 हैक्टेयर कुल खसरा 14 कुल रकबा 7.9685 हैक्टेयर में स्थित वादी के 6321/47674 वॉ हिस्से की भूमि का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा कर बंटवाड़ा प्रस्ताव प्रस्तावित करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया गया। जिसकी पालना करते हुए तहसीलदार बिलाड़ा ने बंटवाड़ा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो निम्नानुसार है ग्राम बिलाड़ा चक नं. 3 तहसील बिलाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 4897 रकबा 1.0565 हैक्टेयर वादी जमनादेवी पत्नी कालूराम, जाति सीरवी सा. देह खातेदार के बंट में रखी गयी, तथा खसरा नम्बर 4897 रकबा 1.4999 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4898 रकबा 0.5420 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4899 रकबा 0.9627 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4900 रकबा 0.4935 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4901 रकबा 0.3236 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4902 रकबा 0.4773 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4903 रकबा 0.5663 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4904 रकबा 0.1375 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4905 रकबा 0.0971 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4906 रकबा 0.3317 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4907 रकबा 0.2103 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4908 रकबा 0.3964 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4909 रकबा 0.3883 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4910 रकबा 0.4854 हैक्टेयर कुल खसरा 14 कुल रकबा 6.9120 हैक्टेयर प्रतिवादीगण उकड़गिरी पुत्र भंवरगिरी, ककूदेवी पत्नी बुद्धगिरी, कैलाशगिरी पुत्र नेनुगिरी, कानगिरी पुत्र बुद्धगिरी, नेनुगिरी पुत्र बुद्धगिरी, राकेश गिरी पुत्र नेनुगिरी, लीलादेवी पत्नी कानगिरी जातियान गुसाई, सा. देह खातेदार के बंट में शामलाती रखी गयी बंटवाड़ा प्रस्ताव को लेकर किसी भी पक्षकार ने कोई आपति पेश नही की इसलिए बंटवाड़ा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा के अनुसार वादी के वाद को स्वीकार कर अन्तिम डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश दिया जाता है कि वो अन्तिम डिक्री व बंटवाड़ा प्रस्ताव के अनुसार भूमि का राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादी व प्रतिवादीगण के नाम से खातेदारी

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

दर्ज करे व नक्शा ट्रेस में तरमीम करे एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो वादी के बंट में आई खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करे एवं न अन्य किसी से करावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे। अन्तिम डिक्री पर्चा जारी हो। बंटवाड़ा प्रस्ताव को अन्तिम डिक्री का भाग समझा व पढा जावे। पत्रावली फैसलसुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 11/1/2023 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा,

ब इजलास भवानी सिंह, आर.ए.एस.

वादी

श्रीमति जमनादेवी पत्नी श्री कालूराम
जाति सीरवी नारनवाल (राठौड़)
निवासी नारणवालों का भादरवा
बिलाड़ा, तहसील बिलाड़ा,
जिला जोधपुर राज.

बनाम

प्रतिवादीगण

1. उकड़गिरी पुत्र भंवरगिरी
2. **स्व. ककूदेवी पत्नी बुद्वगिरी** के कायम मुकाम्
2/1 राधादेवी पुत्री ककूदेवी पत्नी कंचनपुरी, जाति गोस्वामी, निवासी ग्राम आगेवा, तहसील जैतारण, जिला पाली
2/2 गणुदेवी पुत्री ककूदेवी पत्नी नारायणगिरी, जाति गोस्वामी निवासी ग्राम बीरावास, तहसील, बिलाड़ा, जिला जोधपुर राज.
2/3 कुकीदेवी पुत्री ककूदेवी पत्नी भुण्डापुरी, जाति गोस्वामी निवासी ग्राम सांडिया, तहसील सोजत सिटी, जिला पाली
2/4 तिजीदेवी पुत्री ककूदेवी पत्नी सोहनपुरी, जाति गोस्वामी निवासी ग्राम निमाज, तहसील जैतारण, जिला पाली
3. कैलाशपुरी पुत्र नेनुगिरी
4. कानगिरी पुत्र बुद्धगिरी
5. स्व. नेनुगिरी पुत्र बुद्धगिरी के कायम मुकाम्
5/1 ओमगिरी पुत्र नेनुगिरी
5/2 दौलतगिरी पुत्र नेनुगिरी जातियान गोस्वामी, निवासीगण सोलंकियों का अरट, पतालियावास स्कूल के पीछे बिलाड़ा, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर
5/3 पिंकी पुत्री नेनुगिरी पत्नी आनन्दगिरी, जाति गोस्वामी निवासी ग्राम बिराई, तहसील भोपालगढ, जिला जोधपुर
6. राकेशगिरी पुत्र नेनुगिरी
7. लीलादेवी पत्नी कानगिरी जातियान गुसाई, (गोस्वामी) निवासीगण सोलंकियों का अरट, पतालियावास स्कूल के पीछे बिलाड़ा, तहसील बिलाड़ा

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

8. शाखा प्रबन्धक
   भूमि विकास बैंक शाखा बिलाड़ा
9. शाखा प्रबन्धक
   बिलाड़ा सहकारी भूमि विकास
   बैंक शाखा बिलाड़ा
10. राजस्थान सरकार जरिये
   तहसीलदार बिलाड़ा

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी. एक्ट

राजस्व वाद संख्या :– 60/2021

निर्णय **दिनांक :– 11.01.2023**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री मदनलाल चौधरी अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 9 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर, प्रतिवादी संख्या 10 सरकारी पैरोकार उपस्थित होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद को स्वीकार किया जाकर ग्राम बिलाड़ा चक नं. 3 तहसील बिलाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 4897 रकबा 1.0565 हैक्टेयर वादी जमनादेवी पत्नी कालूराम, जाति सीरवी सा. देह खातेदार के बंट में रखी गयी, तथा खसरा नम्बर 4897 रकबा 1.4999 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4898 रकबा 0.5420 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4899 रकबा 0.9627 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4900 रकबा 0.4935 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4901 रकबा 0.3236 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4902 रकबा 0.4773 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4903 रकबा 0.5663 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4904 रकबा 0.1375 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4905 रकबा 0.0971 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4906 रकबा 0.3317 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4907 रकबा 0.2103 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4908 रकबा 0.3964 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4909 रकबा 0.3883 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4910 रकबा 0.4854 हैक्टेयर कुल खसरा 14 कुल रकबा 6.9120 हैक्टेयर प्रतिवादीगण उकड़गिरी पुत्र भंवरगिरी, ककूदेवी पत्नी बुद्धगिरी, कैलाशगिरी पुत्र नेनुगिरी, कानगिरी पुत्र बुद्धगिरी, नेनुगिरी पुत्र बुद्धगिरी, राकेश गिरी पुत्र नेनुगिरी, लीलादेवी पत्नी कानगिरी जातियान गुसाई, सा. देह खातेदार के बंट में शामलाती रखी गयी, बंटवाड़ा प्रस्ताव को लेकर किसी भी पक्षकार ने कोई आपति पेश नही की इसलिए बंटवाड़ा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा के अनुसार वादी के वाद को अन्तिम डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश दिया जाता है कि वो अन्तिम डिक्री व बंटवाड़ा प्रस्ताव के अनुसार भूमि का राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादी व प्रतिवादीगण के नाम से खातेदारी दर्ज करे व नक्शा ट्रेस में तरमीम करे

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो वादी के बंट में आई खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करे एवं न अन्य किसी से करावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
एवं उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज – मुबलिग – बाबत् –

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह –सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक –की अदा करें।बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 11.01.2023 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
एवं उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा